न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/2018

महावीर पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.04.2018

उपस्थिति:-

श्री मनोहरलाल सहारण अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों.

श्री महावीर धारणीया अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र भूराराम के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए कथन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी सं. 1 वक 2 डी.डी. छोटी के मु.न. 14 में 0.975है0 भूमि को बिना विभाजन करवाये रहन, बैय न करें तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य विभाजन हो चुका है एवं उसकी अपीलें भी खारिज हो चुकी हैं। राजस्व रिकार्ड में भी अंकन हो

23/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

चुका है। प्रार्थी अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार हैं जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.04.2018 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी. न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के खारिज कर दिया है साथ ही अधी. न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दुओं को कोई विवेचन नहीं किया है। प्रार्थी/ अपीलांट का मामला बनता है यदि विवादित भूमि का आगे बेचान कर दिया गया तो वादी/अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद पेश होने पर डिक्री हो चुका है जिसकी अपीलें भी इस न्यायालय द्वारा खारिज हो चुके है एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन हो चुका है। अपीलांट किस भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है यह स्पष्ट नहीं किया है। अपीलांट का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद पेश होने पर डिक्री हो चुका है जिसकी अपीलें इस न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है जिसकी पुष्टि अधी.न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्णयों की प्रति से होती है। अपीलांट ने मु.न. 14 की 0.975 हे. भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है उक्त भूमि किस कि.न.में स्थित है यह स्पष्ट नहीं किया है। अधी.न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज

24/5/18
सम्भागीय राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर